इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2011—फाल्गुन 13, शक 1932

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2011

क्र. एफ 2(अ) 287-2010-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(घ)" "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है लिखित परीक्षा के पश्चात् शारीरिक मापदण्डों की माप तौल;"

2. नियम 6 में,—

(एक) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(5) भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को एजेंसी के माध्यम से/पुलिस मुख्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान/स्थानों पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते हुए आवेदन करना चाहिए";

(दो) उपनियम (8) में, खण्ड (दो) में, टिप्पणी में, अन्तिम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमाण्डर तथा तकनीकी उप निरीक्षक (रेडियो/फिंगर प्रिंट/प्रश्नगत दस्तावेज) के लिए पृथक्-पृथक् प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी जिसमें द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए, विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के सात गुना संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाया

जाएगा. अन्तिम अभ्यर्थी को, जिस पर सात गुने की संख्या पूर्ण होती है तथा उन समस्त अभ्यर्थियों को, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त किए हों, निश्चित की गई सात गुना संख्या से अधिक संख्या को ध्यान दिए बिना द्वितीय चरण में प्रवेश दिया जाएगा.".

3. नियम 13 में, उपनियम (1) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु नियुक्ति के लिए केवल उन्ही अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों.".

4. नियम 13 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"**13क. प्रतीक्षा सूची.**—विज्ञापित किए गए रिक्त पदों की 10 प्रतिशत संख्या में अभ्यर्थियों के नामों को सम्मिलित करते हुए गुणागुण के क्रम में एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी. यह प्रतीक्षा सूची बेसिक प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तारीख से 3 मास तक वैध रहेगी. यदि अंतिम चयन सूची में चयनित कोई अभ्यर्थी निश्चित समय-सीमा में उपस्थित नहीं होता है तो प्रतीक्षा सूची में के अभ्यर्थियों को गुणागुण के क्रम में नियुक्ति प्रस्तावित की जाएगी.

"**13ख. निश्चित अवधि में प्रशिक्षण संस्था को रिपोर्ट करना.**—चयनित अभ्यर्थी को, विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर अथवा रूस्तमजी आर्म्ड पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्दौर में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना होगा. यदि अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असफल रहता है तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जाएगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2011

क्र. एफ 2(अ)287-2010-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (अ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 4 मार्च, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव.

Bhopal, the 4th March 2011

No. 2(a)287-2010-B-4-II.—In exercise of the powrs conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Police Executive (Non-Gazetted) Services Recruitment Rules, 1997, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, for clause (d), the following clause shall be sub-stituted, namely:—

"(d) "First Stage" means wirtten examination followed by measurement of Physical standard;".

2. In rule 6,—

"(i) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(5) Candidates desirous of recruitment should apply by submitting an application through the agency/at the place(s) designated by the Police Headquarters.";

"(ii) in sub-rule (8), in clause (ii), in Note, for the last paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"On the basis of the marks obtained in the written examination of the first stage, separate merit lists, one for Subedar, Sub-Inspector, Platoon Commander and another for technical Sub-Inspector (Radio/Finger Print/Questioned Documents) shall be prepared in which the candidates numbering seven times the number of vacant posts advertised shall be called for examination of second stage. Last candidate, on whom seven-times-number is completed and all those candidates who obtained more than or equal marks to this candidate shall be admitted to the second stage irrespective of the number exceeding the stipulated seven times number.".

3. In rule 13, in sub-rule (1), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that only those candidates shall be considered for appointment who obtained a minimum of 20% of marks in the phisical proficiency test.".

4. After rule 13, the following rules shall be inserted, namely :—

"13A. **Waiting List**.—A waiting list comprising names of candidates numbering 10% of the advertised vacant posts shall be prepared in the order of merit. This waiting list shall remain valid for 3 months from the date of commencement of basic training. If any selected candidate from final select list does not join in stipulated time, then candidates in waiting list will be offered appointment in the order of merit.

"13B. **Reporting at the Training Institution in the stipulated period**.—Selected candidate has to join Jawaharlal Nehru Police Academy, Sagar or Rustamji Armed Police Training College, Indore for training on or before the last prescribed date. If candidate fails to join within stipulated period of time without obtaining any permission from appointing authority, his name will be deleted from the selection list.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ALOK RANJAN, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.